

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ ()एफसीए/उवसंसी/2020-21/ 13336

दिनांक : 31/12/2021

निमित्त:-

मुख्य वन संरक्षक,
अरावली भवन,
जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.9737 ha. forest land for widening of existing road from
Neemkathana – Cheeplata Road (ODR -17)to Deepawas Village Tehsil- Neem
ka Thana Sikar. .

(Proposal no. **FP/RJ/ROAD/145183/2021**)

संदर्भ:-वन संरक्षक, जयपुर का ई.डी.एस. दिनांक 08.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित वन भूमि डायवर्जन प्रस्ताव संख्या **FP/RJ/ROAD/145183/2021** क्षेत्र 0.9737 है० में वन संरक्षक, जयपुर द्वारा दिनांक 08.12.2021 को लगाये गये ई.डी.एस. के क्रम में यूजर एजेंसी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नीमकाथाना ने पत्रांक 3678 दिनांक 23.12.2021 से निम्नानुसार जवाब प्रस्तुत किया है-

1. उक्त प्रस्तावित सड़क मार्ग नीमकाथाना-चीपलाटा ODR -17 से बुजीवाला दीपावास रास्ता वर्ष 1980 से प्रचलित है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उक्त रास्ता सन् 1980 से पूर्व में रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नहीं था परन्तु उक्त रास्ता 1980 से पूर्व प्रचलित था। तहसीलदार, नीमकाथाना की रिपोर्ट पत्रांक 1939 दिनांक 22.12.2021 संलग्न है।
2. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड-श्रीमाधोपुर ने पत्रांक 354 दिनांक 22.12.2021 से अवगत कराया है कि नीमकाथाना-चीपलाटा ODR -17 से बुजीवाला दीपावास रास्ता तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक 1939 दिनांक 22.12.2021 के अनुसार उक्त रास्ता वर्ष 1980 से पूर्व प्रचलित था, जो कि कई गांवों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। पत्र की प्रति संलग्न है। अतः रिपोर्ट श्रीमान् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

FCA
21/12/2021

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना

क्रमांक:- 3678

दिनांक:- 23-12-2021

श्रीमान उप वन संरक्षक
सीकर।

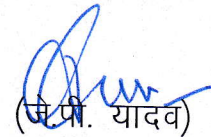
विषय:- नीमकाथाना चीपलाटा (ओडीआर-17) से दीपावास सडक के रास्ते के संबंध मे।

प्रसंग:- तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक राजस्व/2021 1939 दिनांक 22.12.2021 एव
सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड श्रीमाधोपुर के पत्रांक 354 दिनांक 22.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम मे निवेदन है कि नीमकाथाना चीपलाटा (ओडीआर-17) से दीपावास सडक का रास्ता वर्ष 1980 से पूर्व प्रचलित था जो कि कई गाँवो को जोडने का एक मात्र रास्ता है। अतः सूचना अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- 1. तहसीलदार की रिपोर्ट
2. सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट



(ज.पी. यादव)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना

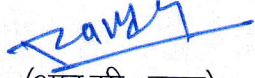
कार्यालय सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड श्रीमाधोपुर
क्रमांक:- 354 दिनांक:- 22.12.2021

श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. खण्ड नीमकाथाना।

विषय:- नीमकाथाना चीपलाटा (ओडीआर-17) से दीपावास सडक के रास्ते के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि नीमकाथाना चीपलाटा (ओडीआर-17) से दीपावास सडक के रास्ते के संबंध मे तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक राजस्व/2021 1939 दिनांक 22.12.2021 द्वारा उक्त रास्ता वर्ष 1980 से पूर्व प्रचलित था जो कि कई गाँवो को जोडने का एक मात्र रास्ता है।


(आर.सी. जाट)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि. उपखण्ड श्रीमाधोपुर

कार्यालय तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

क्रमांक- राजस्व/2021/ 1939

दिनांक- 28.12.2021

सहायक अभियंता,

पीडब्लूडी उपखण्ड, श्रीमाधोपुर।

विषय :- नीमकाथाना चीपलाटा सडक ओडीआर 17 से बूजीवाला दीपावास सडक के रास्ते की जानकारी हेतु।

प्रसंग :- आपके पत्रांक 344 दिनांक 15.12.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में आप द्वारा नीमकाथाना चीपलाटा ओडीआर 17 से बूजीवाला दीपावास रास्ते की वर्ष 1980 से पूर्व की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट चाही गई है कि रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज था अथवा प्रचलित था। इस संबंध में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी उक्त रास्ता सन् 1980 से पूर्व में रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था परन्तु 1980 से पूर्व उक्त रास्ता हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रचलित होना बताया गया है।



तहसीलदार नीमकाथाना
तहसीलदार
नीमकाथाना जिला सीकर